

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.II)**

No.F.8(7)DOP/A-II/2008 Part -3

Jaipur, dated : **12 JUN 2018**

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board Rules, 2014, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of Preamble.- In Preamble of the Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board Rules, 2014, hereinafter referred to as the said rules, for the existing expression "Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board", the expression "Rajasthan Staff Selection Board" shall be substituted.

3. Amendment of rule 1.- In sub- rule (1) of rule 1 of the said rules, for the existing expression "Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board", the expression "Rajasthan Staff Selection Board" shall be substituted.

4. Amendment of rule 2.- In clause (a) of rule 2 of the said rules, for the existing expression "Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board", the expression "Rajasthan Staff Selection Board" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor,

(Signature)
o/c (Sunil Sharma) 12/6/2018

Joint Secretary to the Government

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं.एफ.8(7)डीओपी/ए-II/2008/पार्ट-3

जयपुर, दिनांक : 12 JUN 2018

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान-अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड नियम, 2014 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रस्तावना का संशोधन.- राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड नियम, 2014 जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया है, की प्रस्तावना में विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. नियम 1 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 1 के उप-नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. नियम 2 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 2 के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवा चयन बोर्ड" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

o/c (सुनील शर्मा)
21/6/2018

संयुक्त शासन सचिव